

वन विभाग

विधि

10 फरवरी, 1960

संख्या- 1115/XIV - 331-50 उत्तरप्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इण्डियन फारेस्ट एक्ट 1927 (एक्ट - XVI/ 1927) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन अग्निहोत्र नाम का अग्निहोत्र करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबन्धक द्वारा और उपर्युक्त एक्ट की धारा- 80 के साथ पठित एक्ट धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार नाम तथा अग्निहोत्र करने का उक्त एक्ट के अध्याय 4 में बतलाया संज्ञा अंग्रेजी में उल्लिखित ग्रीक पर लागू होगी।

जिला	मार्ग का नाम	दूरी मील, फलाम व फीट में	विवरण
जीनपुर	1. लखनऊ बनारस रोड	165 से 176 तक	ग्रीक का सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गई
	2. बादशाहपुर रेलवे फील्ड रोड	0 से 2 फलाम 545 फीट	
	3. लाइन बाजार नईगंज बाईपास रोड	1 मील 3 फलाम 266 फीट तक है	
	4. मिर्जापुर जीनपुर रोड	25 मील 1 फलाम 177 फीट तक	
	5. लखनऊ बलिया रोड	18 मील 1 फलाम 135 फीट तक	
	6. जीनपुर शाहगंज अकबरपुर	21 मील 1 फलाम 447 फीट तक	
	7. इलाहाबाद गोरखपुर रोड	9 मील 1 फलाम 491 फीट तक	
	8. मछलीशहर-जंघई रोड	12 मील 1 फलाम 1 फीट तक	
	9. जीनपुर प्रतापगढ़ रोड	24 से 27 मील 6 फलाम 520 फीट	
	10. लालसराय धीवारगंज रोड	0 से 6 मील 5 फलाम 150 फीट	
	11. अकबरपुर मुदठीगंज रोड	1 मील 3 फलाम 440 फीट	
	12. शाहगंज तिकोलिया रोड	0 से 7 मील 3 फलाम 280 फीट	
	13. जीनपुर रेलवे स्टेशन मार्ग	0 से 60 फलाम 280 फीट	
	14. मीनपुर फाड़ा सी०सी० फांफरा	5 फलाम 73 फीट से 7 फलाम 20 फीट तक।	
	15. सराय	0 से 4 मील 4 फलाम 591 फीट	
	16. लिंग रोड	0 से 2 फलाम 121 फीट तक	
	17. रेलवे फिडर रोड	0 से 14 फलाम 447 फीट तक	
	18. बनारस आजमगढ़ रोड	0 से 23 मील 1 फलाम 40 फीट	
वाराणसी	1. बनारस बलिया रोड	मील 1 से मील 5 तक	
	2. सारनाथ रोड	1 मील 2 फलाम तक	
गाजीपुर	1. बनारस बलिया रोड	20 से 47 मील तक	
	2. गाजीपुर-गोरखपुर रोड	85 से 85 मील तक	
	3. बनारस बलिया रोड	47 से 70 मील तक	
	4. मृगहरा आड़ रोड	1 से 2. (फलाम-2) तक	